न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/356

रामजानकी बाई उर्फ किशना बाई पुत्री श्री रघुवीर जाति मीणा निवासी खातौली हाल मुकाम ग्राम जलालपुरा तहसील व जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. महावीर आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा ।
2. रामगोप उर्फ रामगोपाल आत्मज श्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ।
3. बजरंग लाल आत्मज श्री सांवला जाति मीणा निवासीगण फरेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 26.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फरेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 41 में खसरा नम्बर 23 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.76 हैक्टर कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 3.24 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि श्री प्रभूलाल पुत्र सांवला जाति मीना निवासी फरेरा की खातेदारी में दर्ज है । श्री प्रभूलाल का दिनांक 10.04.2013 को देहावसान हो चुका है । स्व0 प्रभूलाल के केवल एक पुत्र रघुवीर था जिसकी मृत्यु प्रभूलाल के जीवनकाल में हो गई थी । प्रभूलाल के वादीगण भतीजे व प्रतिवादी कम 1 भाई होकर स्व0 प्रभूलाल के वारिस हैं । वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि पर स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से वादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 के द्वारा वादी का वाद डिक्री करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को संभाग 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट जो कि मृतक प्रभूलाल की पौती है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया और उसे सूचित किये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था । वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक प्रभूलाल द्वारा अंतिम वसीयत दिनांक 20.02.2013 अपीलान्ट के पक्ष में आलेखित की गई है तथा स्व0 प्रभूलाल की एकमात्र वारिस व उत्तराधिकारी अपीलान्ट है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है । अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है और उक्त अपीलाधीन निर्णय से उसके हित प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने स्वयं को मृतक प्रभू की एकमात्र वारिस पौती होना बताया है इसके अलावा खातेदार प्रभूलाल द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया जाना बताया है । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट के हक हकूक अपील के निस्तारण के समय होंगे अभी इस स्तर पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.06.2018

को रेस्पोडेन्ट कम 1 से 3 मौके पर कृषि काश्त करने के लिए आये तब जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किये हैं और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना की है ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनों ही प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2018 को पेश किये गये हैं । प्रथम प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनमें असल वसीयत दिनांक 20.02.2013, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 नया खाता संख्या 41 की प्रमाणित प्रति जिसके अनुसार प्रभूलाल के खाते की आराजी मुताबिक डिक्री आदेश प्रभूलाल के स्थान पर महावीर, रामगोप उर्फ रामगोपाल पुत्रान बद्रीलाल हिस्सा 1/2, बजरंग लाल पुत्र सांवला हिस्सा 1/2 जाति मीना नाम दर्ज है, नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रति जिसके अनुसार नया खाता संख्या 41 की कुल 03 किता की 3.24 हैक्टर आराजी प्रभूलाल पुत्र सांवला जाति मीना के नाम दर्ज है, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2010 के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है । इसमें से राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 41 की प्रमाणित प्रतियॉ और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.05.2010 की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । उक्त दस्तावेज प्रकरण के सम्बन्धित होने एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं न्यायालय के निर्णय की प्रतियॉ होने के कारण इन्हें रिकॉर्ड पर लेना उचित प्रतीत होता है क्योंकि इनकी विश्सनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । वसीयत को अपील की स्टेज पर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि वसीयत का गवाहों से भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से प्रमाणित होना अनिवार्य है और यह कार्यवाही अपील की स्टेज पर संभव नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ।

12. दूसरा प्रार्थना पत्र जो पेश किया गया है उसके साथ असल राशनकार्ड रघुवीर मीणा, भारत निर्वाचन आयोग का असल पहचान पत्र और असल राशकार्ड पेश किये गये हैं । इन दस्तावेजात का भी साक्ष्य से प्रमाणित होना अनिवार्य है और इसके रिबटल में रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य का अवसर भी प्रदान किया जाना आवश्यक है । इसलिए इन दस्तावेजात को अपील के स्तर पर रिकॉर्ड पर नहीं लिये जा सकते है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाता है ।

13. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई ।

14. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण ने दुरभी संधि करते हुए एक दावा पेश किया जिसमें यह कथन किया कि प्रभूलाल के कोई वारिस नहीं है

उनका एकमात्र पुत्र जिसका देहान्त उनके जीवनकाल में हो गया था उनके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 हैं। अतः दावा डिक्री किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तथ्यों की जॉच किये दावा डिक्री किया है जबकि अपीलान्ट रघुवीर की पुत्री है इस नाते प्रभूलाल की पौती है । पक्षकारान पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं । अपीलान्ट के पक्ष में एक वसीयत भी प्रभूलाल ने निष्पादित की है जिसके अनुसार अपीलान्ट को अपनी सम्पत्ति का हकदार बताया है । यदि रेस्पोडेन्टगण ने वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दर्ज करवा भी लिया है तो भी मात्र इन्द्राज के आधार पर इस आराजी के वह स्वामी नहीं सकते हैं । प्रभू लाल जी उक्त आराजी के एकमात्र खातेदार थे तथा उन्हें उक्त आराजी की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था इसलिए उन्होंने प्रार्थिया के पक्ष में दिनांक 20.02.2013 को वसीयत निष्पादित की है । उक्त प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रयोजित नहीं होता । स्व0 प्रभूलाल जी की निर्वसीयत मृत्यु नहीं हुई थी । उन्होंने प्रार्थिया के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है । जब स्व0 प्रभूलाल जी की निर्वसीयत मृत्यु होती है तो वहॉ पर पक्षकारों की स्वयं विधि लागू होगी और पक्षकारों को धारा 39 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के अनुसार उत्तराधिकारी माना जावेगा । वसीयत के आधार पर प्रार्थिया को सम्पूर्ण अधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्राप्त हो चुके हैं इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थिया एकमात्र मालिक व स्वामी हो चुकी है और वसीयत के आधार पर उक्त आराजी अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने की अधिकारी हो चुकी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2014 (एससी) पेज 2281, सीडीआर 2018 (1) (एससी) पेज 67, आरआरडी 1998 पेज 391, 2017 डीएनजे (एससी) पेज 797, 2017 डीएनजे (एससी) पेज 938, 2017 (4) डीएनजे (राज0) पेज 1812, 2017 डीएनजे (एससी) पेज 397, 2010 (2) डीएनजे (राज0) पेज 1052 उद्धरत की ।

15. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रभूलाल के खाते में दर्ज है । प्रभूलाल के पुत्र की उनके जीवनकाल में ही मृत्यु हो चुकी थी ऐसी स्थिति में पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार आराजी उनके भाई बजरंगल को ही प्राप्त होगी । अपीलान्ट स्वयं को रघुवीर की पुत्री बताती है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को नहीं रखा गया । अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के कथन को सही माना जावे तो भी वह मृतक प्रभूलाल की पौती है और पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार उनके भाई बजरंग लाल का वादग्रस्त आराजी में अधिकार उनकी पौत्री से पहले प्राप्त होगा । वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रमाणित नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

16. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में निवेदन किया कि उन्हें जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया । अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है उसे न्यायहित में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये जावे । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

17. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

18. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 पेश किया है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 41 में 03 किता की 3.24 हैक्टर भूमि प्रभूलपाल पुत्र सांवला जाति मीना के नाम खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया गया है । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन करते हुए अपील पेश की गई है कि वादग्रस्त आराजी प्रभूलाल के खाते में है जो उनके दादा हैं। पक्षकारान पुरानी हिन्दू विधि से शासित होते हैं, उनके दादा प्रभूलाल की मृत्यु हो चुकी है और पुरूष वारिस नहीं होने की स्थिति में वो इस सम्पत्ति को प्राप्त करने की अधिकारी हैं । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में निष्पादित वसीयत भी पेश की है परन्तु वसीयत अपीलीय न्यायालय में प्रमाणित नहीं हो सकती। वसीयत के आधार पर किसी प्रकार के अधिकार वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट को इस स्टेज पर नहीं दिये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलान्ट रघुवीर की पुत्री एवं मृतक प्रभूलाल की पौती होने के नाते अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये दावे में आवश्यक पक्षकार थी जिनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व एवं अधिकार पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार निर्धारित होगे । ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते है ।

19. अपीलान्ट पेश किये मूल दस्तावेजात उनकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.02.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा